समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला स्थापना शाखा)
आदेश

प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 446(4)/रा0 दिनांक-04.11.2011 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में दिनांक 27.09.2013 को हुई जिला नियुक्ति-सह-चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इस जिला में अमीन के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर निम्न अभ्यर्थियों का नियोजन\निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जाता है एवं उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। संबंधित कार्यालय में दिनांक 7.10.13 तक योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि के बाद योगदान स्वीकृत नही किया जायेगा।

क्र0	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	आरक्षण कोटि	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री नंदकिशोर कुमार सिंह, पिता-रामनारायण सिंह, ग्राम-मलाही नयका टोला, पो0-मलाही, जिला-पूर्वी चम्पारण।	अनारक्षित	सुगौली अंचल
2	,, काशीलाल प्रसाद पिता-संचित साह सा0-बड़हरवा जिला-पूर्वी चम्पारण	अनारक्षित	रामगढ़वा अंचल
3	,, जगन्नाथ महतो पिता- हनुमान महतो ग्राम--कोटिया राय, पो0-डुमरीकलाँ, जिला -सीतामढ़ी।	पि0वर्ग	तेतरिया अंचल अतिरिक्त प्रभार फेनहारा अंचल
4	,, ओमप्रकाश शर्मा पिता-रामजी ठाकुर ग्राम-बवरिया, पो0-अनुआ, थाना-शिकारपुर जिला-प0 चम्पारण।	अति0पि0वर्ग	जिला भू-अर्जन कार्यालय मोतिहारी

1. नियोजित अमीन को प्रतिमाह-6500.00(छः हजार पॉच सौ रूपये) मानदेय भुगतान किया जायेगा।
2. नियोंजन की कुल अवधि एक वर्ष की होगी। परिशिष्ट-1 एकरारनामा के अनुसार तत्काल नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से अगले छः माह के लिए किया जाता है। कार्य संतुष्ट पाये जाने पर अगले छः माह के लिए अवधि विस्तार किया जायेगा।
3. नियोजित अमीन अपने दायित्वों का विधिवत एवं नियमानुसार निष्पादन नही करते है, कदाचार में लिप्त पाये जाते है अथवा उनके तकनिकी कार्य क्षमता का अभाव दृष्टिगोचर होता है, तो संविदा के आधार पर नियोजित अमीन की सेवा बिना किसी कारण पृच्छा के समाप्त कर दी जायगी। इसके लिए उनका कोई दावा अनुमान्य नही होगा।
4. अमीन के पद पर नियमित नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. नियोजित अमीन सरकारी सेवक नही माने जायेगें, तथा वे सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी प्रकार की सुविधा का दावा नही करेगें। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई दावा अनुमान्य नही होगा।
6. नियोजित अमीन के प्रमाण-पत्रों की जांच के क्रम में कोई त्रुटि पायी जाती है तो नियोजन रद्द करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

7. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र/चरित्र प्रमाण–पत्र/सामान्य प्रशासन विभाग के परिशिष्ट–1 में विहित प्रपत्र में एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।

ह० —

जिलाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

ज्ञापांक 726 दिनांक 28/9/13 /

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित संविदा के आधार पर नव नियोजित अमीन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण मोतिहारी/अंचलाधिकारी सुगौली/रामगढ़वा/तेतरिया/फेन्हारा/ कोषागार पदाधिकारी मोतिहारी /असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को उनके पत्रांक 446(4)/रा0 दिनांक 4.11.2011 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

28/9/13

जिलाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

Shailesh/...